ABHA कार्ड प्रोजेक्ट सेवा समझौता

यह समझौता 08 सितंबर 2026 को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है

प्रथम पक्ष (फाउंडेशन)

श्री अंजनी लाला फाउंडेशन
(जिसे आगे इस समझौते में “फाउंडेशन” कहा जाएगा)
अधिकृत प्रतिनिधि: **ज्ञानदीप कुमार** (डायरेक्टर)

द्वितीय पक्ष (सेवा भागीदार)

प्रगति बाल विकास योजना
आधार संख्या – [Aadhaar Redacted]
प्रधान कार्यालय: दरभंगा रोड, अहियापुर, मुजफ्फरपुर (पिन: 842001)
अधिकृत प्रतिनिधि: **रविंद्र कुमार कुशवाहा** (सचिव)

(प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को आगे सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।)

1. उद्देश्य

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सेवा भागीदार के माध्यम से आवंटित क्षेत्रों में ABHA (Ayushman Bharat Health Account) कार्ड पंजीकरण परियोजना के सुचारू एवं पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु नियम एवं शर्तें निर्धारित करना है।

2. कार्य का दायरा

सेवा भागीदार को आवंटित कार्य क्षेत्र में लाभार्थियों का ABHA कार्ड पंजीकरण एवं निर्माण सुनिश्चित करना होगा। इस कार्य के दौरान फाउंडेशन द्वारा जारी सभी लागू सरकारी दिशानिर्देशों, मानकों एवं परियोजना संबंधी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

3. वित्तीय शर्तें

- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रत्येक सफलतापूर्वक स्वीकृत/निर्मित कार्ड के लिए **₹15 (पंद्रह रुपये मात्र)** का भुगतान किया जाएगा।
- उक्त भुगतान के बदले प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को केवल आवश्यक कार्ड उपलब्ध कराएगा।

4. संचालन संबंधी खर्च

सेवा भागीदार परियोजना संचालन से संबंधित समस्त परिचालन व्यय स्वयं वहन करेगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सामग्री का खर्च।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं विद्युत आपूर्ति का खर्च।
- कार्यालय व्यवस्था एवं अन्य सभी स्थानीय परिचालन संबंधी खर्च।

5. सेवा भागीदार की जिम्मेदारियाँ

- ABHA कार्ड का शत-प्रतिशत सही, प्रामाणिक एवं वास्तविक पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- फाउंडेशन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी संचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।
- धोखाधड़ी, डुप्लीकेट, फर्जी या अमान्य पंजीकरण से पूर्णतः बचना।
- सभी लागू कानूनों, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों एवं सरकारी प्रावधानों का पालन करना।
- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनता/लाभार्थियों से प्रति कार्ड **₹30 (तीस रुपये मात्र)** शुल्क लेना सुनिश्चित करना।

6. फाउंडेशन की जिम्मेदारियाँ

- परियोजना संचालन की आवश्यक अनुमति, तकनीकी तालमेल एवं संचालन मार्गदर्शन प्रदान करना।
- परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग उपलब्ध कराना।
- सत्यापित एवं स्वीकृत ABHA कार्डों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान प्रक्रिया निष्पादित करना।

7. समझौते की समाप्ति

- कोई भी पक्ष 15 (पंद्रह) दिनों का अग्रिम लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

- धोखाधड़ी, कदाचार, परियोजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन, भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने या समझौते के किसी नियम के उल्लंघन पर फाउंडेशन को इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा

सेवा भागीदार लाभार्थियों की व्यक्तिगत व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परियोजना डेटा, सिस्टम क्रेडेंशियल तथा फाउंडेशन से प्राप्त किसी भी गोपनीय दस्तावेज की पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखेगा। डेटा का अनधिकृत उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9. विवाद का समाधान एवं अधिकार क्षेत्र

इस समझौते से उत्पन्न किसी भी मतभेद या विवाद का समाधान सर्वप्रथम दोनों पक्षों द्वारा आपसी बातचीत एवं सुलह से सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा। यदि समाधान नहीं हो पाता है, तो यह मामला सक्षम स्थानीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।

10. संपूर्ण समझौता

यह समझौता दोनों पक्षों के मध्य संपूर्ण सहमति को व्यक्त करता है और ABHA कार्ड प्रोजेक्ट के संबंध में पूर्व में हुए सभी मौखिक या लिखित पत्राचार/समझौतों का स्थान लेता है।

> **विशेष टिप्पणी:**
> द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सहमत भुगतान साप्ताहिक आधार पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अनुसार किया जाएगा। यदि द्वितीय पक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक साप्ताहिक भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रथम पक्ष को इस समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार रहेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष के प्रति कोई वित्तीय अथवा अन्य दायित्व नहीं होगा।

परियोजना हेतु आवंटित जिले:
द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित **2 जिलों** के लिए कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया है:
1. मुजफ्फरपुर | 2. समस्तीपुर

प्रथम पक्ष (फाउंडेशन)

संस्था: श्री अंजनी लाला फाउंडेशन

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: ज्ञानदीप कुमार

पद: डायरेक्टर

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: 08 सितंबर 2026

[संस्था की मुहर]

द्वितीय पक्ष (सेवा भागीदार)

संस्था: प्रगति बाल विकास योजना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: रविंद्र कुमार कुशवाहा

पद: सचिव

हस्ताक्षर: RK KUSHVAHA

दिनांक: 08 सितंबर 2026

[संस्था की मुहर]